UPBS120000661997

न्यायालय CIVIL JUDGE (J.D. KLD. at BASTI), Basti

पीठासीन अधिकारी– (DIKSHA AGARWAL), (उ०प्र० न्यायिक सेवा) – UP03335

मूलवाद सं० 800/1997

विद्या प्रसाद बनाम श्रीमती जयंत्री देवी

13.12.2022

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर उभयपक्ष मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। पक्षकारों द्वारा अतिरिक्त वादबिन्दुओं के विरचन पर बल दिया गया। उभयपक्षों के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित अतिरिक्त वादबिन्दु विरचित किए गए –

13. क्या दावा वादी कानूनन पोषणीय है?
14. क्या दावा वादी धारा 208 यू०पी० रेवेन्यू कोड, 2006 के प्रावधानों से बाधित है?
15. क्या दावा वादी धारा 41 विशिष्ट अनुतोष अधिनियम से बाधित है?
16. क्या दावा वादी धारा 49 जोत चकबन्दी अधिनियम से बाधित है?

उपरोक्त वादबिन्दुओं के अलावा न तो कोई वादबिन्दु बनता है, न ही पक्षकारों द्वारा किसी अन्य वादबिन्दु के विरचन पर बल दिया गया है। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थनापत्र 71 ग 2 दिनांक 20.12.2022 को पेश हो।

चूंकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त पत्रावली को शीघ्र निस्तारित करने हेतु निर्देशित किया गया है, अतः पक्षकारों को निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक नियत तिथि पर न्यायालय में उपस्थित होकर वाद की कार्यवाही में सहयोग करें।

सिविल जज (जू०डि०),
खलीलाबाद स्थान बस्ती।

Digitally signed by DIKSHA AGARWAL
Date: 2022.12.13 15:46:25 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court